

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 795 /2022.लखनऊ:दि0::जून, 06 ,2022

--:संशोधित आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक-654/22 दिनांक 05.05.2022 द्वारा माह-जून 2022 का युगल पीठ कार्यक्रम परिचालित किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा श्री डी0डी0 ओझा, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 कानपुर एवं श्री जे0के0 सिंह, अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ का स्थानान्तरण अन्यत्र किया गया है तथा दोनों ही अधिकारियों द्वारा अपने पद का कार्यभार सौंपते हुए कार्यमुक्त हो चुके हैं।

अतैव उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यालय के आदेशांक-654/2022 दिनांक 05.05.2022 द्वारा परिचालित युगल पीठ कार्यक्रम में निम्न संशोधन किया जाता है।

| क्रम सं० | बैठने का स्थान | कार्य-आवंटन | कार्य-अवधि | युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य |
|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1. | पीठ-1 लखनऊ | पीठ-1,2,3 लखनऊ | दिनांक 20.06.22 से 25.06.22 | पीठ-1 लखनऊ पीठ-3 लखनऊ न्यायिक विभागीय |
| 2. | पीठ-1 कानपुर | पीठ-1,2,3,4 कानपुर | दिनांक 20.06.22 से 24.06.22 | अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ व पीठ-4 कानपुर न्यायिक विभागीय |

उक्त के अतिरिक्त ^{कानपुर में} दिनांक 06.06.2022 से 10.06.2022 तक गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है।
शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

ह0 / 06.06.2022

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ 795 /2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1/2/3 लखनऊ, पीठ-1/2/3/4 कानपुर।
- सदस्य पीठ-4 कानपुर को इस निर्देश के साथ कि मा0 अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ की उचित ठहरने की व्यवस्था करने हेतु।
- मुंसरिम/वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर, मुख्यालय।
- सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।